



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां, एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

याचिका सं.857 / टीएल / 2025

दिनांक: 26.12.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर 'आरई उत्पादन के एकीकरण के लिए दावणगेरे पर पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण' (जिसे इसके पश्चात् 'परियोजना' कहा गया है) के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रमावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	वे घटक जो संबंधित घटक के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की घोषणा के लिए पूर्वापेक्षित हैं।
1.	दावणगेरे पीएस में 4x500 एमवीए 400 / 220 केवी आईसीटी (5वां - आठवां) द्वारा रूपांतरण क्षमता का संवर्द्धन • 400 / 220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी - 4 नं. • 400 केवी आईसीटी बे - 4 नं. • 220 केवी आईसीटी बे - 4 नं.	24 मास (24.9.2027)	क्र.सं. 2 एवं 3 पर घटक
2.	765 / 400 केवी, 1x1500 एमवीए आईसीटी द्वारा दावणगेरे / चित्रदुर्गा पीएस का संवर्द्धन • 765 / 400 केवीए 1500 एमवीए आईसीटी - 1 नं. • 765 केवी आईसीटी बे - 1 नं. • 400 केवी आईसीटी बे - 1 नं. • 220 केवी बस सेक्शनलाइजर : 1 सेट • 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे - 2 नं. • 220v केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे - 2 नं.		क्र.सं. 1 एवं 3 पर घटक
3.	2 आरई उत्पादन परियोजना के समर्पित पारेषण लाइनों की समाप्ति के लिए दावणगेरे / चित्रदुर्गा पीएस पर 220 केवी लाइन बे का 2 नं. • 220 केवी लाइन बे - 2 नं.		क्र.सं. 1 एवं 2 पर घटक

नोट:

- दावणगेरे पीएस का टीएसपी उपर्युक्त संवर्धन कार्यों को पूरा करने के लिए दावणगेरे पीएस पर स्थान उपलब्ध करवाएगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 13.10.2025 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 857 / टीएल / 2025 में दिनांक 25.12.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोत्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पत्र पर दिनांक 6.1.2026 तक अग्रहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 8.1.2026 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता / -
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव